रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 1978/माघ 20, 1899
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 1978/MAGHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 14—आई. टी. सी. (पी. एन.)/78

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1978

विषय :—आयातित संघटकों वाली देसी मशीनरी के सम्बन्ध में गैर अनुमेय फालतू पुर्जों का आयात : अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात नीति ।

मिसल. सं. आई.पीसी./3/4/77.—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा-1) के खण्ड 1 के पैरा 55 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि लाइसेंसधारी के कारखाने में लगाई गई या उपयोग की गई आयातित मशीनरी के सम्बन्ध में गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस ऐसी मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 1 प्रतिशत आधार पर प्रदान किए जाएंगे ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर अब यह निश्चय किया गया है कि गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में लाइसेंस, आयातित संघटकों वाली देसी मशीनरी की क्रय कीमत के 1/2% के आधार पर अप्रैल, 1977—मार्च 1978 अवधि की नीति पुस्तक वा-1 के खण्ड-1 के पैरा 55. (1)—(3) में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किए जाएं । आयात लाइसेंस, माल के सामान्य विवरण के साथ जारी किए जाएंगे, अर्थात् :—

"लाइसेंसधारी के कारखाने में लगाई गई या उपयोग की गई मशीनों के रख-रखाव के लिए अपेक्षित गैर-अनुमेय फालतू पुर्जे, जिसमें अनुसंगी उपस्कर के फालतू पुर्जे, नियंत्रण और प्रयोगशाला उपस्कर और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं ।"

3. उपर्युक्त सुविधा को उपलब्ध करने के लिए पात्र और इच्छुक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) आयातित संघटक वाली देसी मशीनरी का ब्यौरा देते हुए और व्यवसायिक सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से अपने आवेदन-पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं । इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि 12 मार्च, 1978 होगी ।

का. वें. शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE No. 14-ITC(PN)/78

New Delhi, the 9th February, 1978

SUBJECT :—Import of non-permissible spare parts in respect of indigenous machinery having imported components : Import Policy for April, 1977—March, 1978.

F. No. IPC/3/4/77.—Attention is invited to para 55 of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April, 1977—March, 1978, in terms of which it has been provided that licences for import of non-permissible spare parts in respect of imported machinery

installed or used in the licence factory, will be granted on the basis of one per cent of the c.i.f. value of such machinery.

2. On a review of the position, it has now been decided to grant licences in respect of non-permissible spare parts on the basis of 1/2 per cent of the purchase price of indigenous machinery having imported components. Imoprt licences will be issued with general description of goods, viz :

"Non-permissible spare parts required for maintenance of machines installed or used in the licence holder's factory, including spare parts of ancillary equipment, control and laboratory equipment and safety appliances."

Subject to the conditions mentioned in para 55(i)-(iii) of Section I of the Policy Book (Volume I) for the period April, 1977—March, 1978.

3. Actual Users (Industrial) eligible to and desirous of availing themselves of the above facility may submit applications in the prescribed form and manner, giving details of indigenous machinery having imported components, duly certified by chartered accountant/cost accountant, in practice, to the licensing authorities concerned. The last date for receipt of applications in terms of this public notice will be the 12th March, 1978.

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978